फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकरलाल

बनाम

विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड

किस्म मुकदमा – 138 भू.राजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 04/23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 05.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा गाडरीयावास पटवार हल्का लालपुरा तहसील कानोड की साबिक आराजी न. 130, 135, 138, 139 के नवीन आराजी न. 305, 306, 307, 319, 320 में सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर व खातेदार की सहमती के बगैर भू–प्रबंधन विभाग की पैमाईश के समय कृषि भूमि की किस्म (भूमि की प्रकृति) बदल दी गई जिसे बदलने का कोई अधिकार नहीं था। भू प्रबन्धन विभाग के कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से अवैध एवं मनमाने ढंग से पुरानी जमाबन्दी के खाता संख्या 68 की आ.न. 130, 135, 138, 139 को मनमाने ढंग से पांच भागों (आ.न. 130, 135, 138, 139 व 320) में विभक्त कर आ.न. 306 रकबा 0.0200 है. व 319 रकबा 0.0500 है. को गै.मु. रास्ता लिख दिया जबकि पुरानी जमाबन्दी व पुराने नक्शा ट्रेस में मौके पर, कभी किसी प्रकार का कोई रास्ता था ही नहीं न वर्तमान में है प्रार्थी के कूंए तक बैल, बैलगाडी आदि लाने–ले जाने का रास्ता स्वयं प्रार्थी का है न कि गै.मु.रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि किस्म साबिक किस्म अनुसार संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बताया कि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2078–81 ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का लालपुरा की खाता सं. 76 में खातेदार शंकर पुत्र सखा लौहार सा. हींता आराजी नं. 305 रकबा 0.30 है. किस्म चा. द्वितीय 306 रकबा 0.02 किस्म गै.मु.रास्ता, 307 रकबा 0.25 है. किस्म बारानी द्वितीय, 319 रकबा 0.05 है. किस्म गै.मु.रास्ता, 320 रकबा 0.40 है. किस्म चा. द्वितीय कुल किता 05 रकबा 1.02 है.। जो सही है। यह कि गत जमाबन्दी संवत् 2067–2070 में दर्ज आराजी सं. 130 रकबा 2–04 बिघा किस्म एसा 2, आ.न. 135 रकबा 0–09 बिघा किस्म बीड प्रथम, आ.न. 138 रकबा 0–16 बिघा किस्म कु द्वि. बी प्रथम कु. 2, आ.न. 139 रकबा 1–06 बिघा किस्म कु. द्वि. बीड प्रथम कुल किता 4 रकबा 4–15 बीघा लगान 13.31 खातेदार शंकर पिता सुखा लौहार नि. हिंता के नाम दर्ज रेकर्ड था। जो सही है। भू–प्रबन्धन विभाग के क्षेत्र तुलनात्मक पत्र मिलान खसरा अनुसार गत आराजी 130 एवं 135 के नवीन आराजीयात 305, 306 एवं 307 बने है, जबकि आराजीयात गत 138 एवं 139 के नवीन आराजीयात 319 एवं 320 बने है। जिनका क्षेत्रफल समान है लेकिन वक्त सेटलमेंट किस्म में परिवर्तन किया गया। जो सही है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का लालपुरा के वर्तमान आराजी नं. 306 रकबा 0.02 किस्म गै.मु.रास्ता एवं आराजी नं. 319 रकबा 0.05 किस्म गै.मु.रास्ता का मौका देखा गया एवं प्रार्थी एवं उनके भाई बन्धु उक्त [illegible] पूर्व से रास्ता के रूप में काम लिया करते थें एवं प्रार्थी ने स्वयं भी प्रार्थना [illegible] उनके कुऐं एवं खेंतों पर उक्त रास्ते से जाना स्वीकार है साथ ही [illegible] कि उक्त [illegible] गै.मु.रास्ता एवं इसका नक्शा में अंकन वक्त सेटलमेंट किया गया जो [illegible] है।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर [illegible] है कि नवीन सेटलमेंट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनाग्रस्त आराजी नं. 306, 319 की किस्म में परिवर्तन किया गया। वर्तमान 306 की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज है। वर्तमान आराजी न. 306 तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार साबिक आराजी न. 130 एवं 135 से बने है जिनकी किस्म क एवं बीड प्रथम थी साथ ही आराजी न. 319 की वर्तमान किस्म भी गै.मु.रास्ता साबिक आराजी न. 138, 139 से बने है जिनकी किस्म क्रमशः कु. हि. थी जिससे स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 306, 31 परिवर्तन कर दी गई है जिसका भू-प्रबंधन विभाग को कोई अधिकार तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि आराजी न. 306, 319 मौके पर रास्ते के रूप में लिया जा रहा है जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना कथन को स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रार्थी के कुंए तक बैल, बैलगाडी आ जाने का रास्ता स्वयं प्रार्थी का है न की गै.मु.रास्ता है। भू-प्रबन्धन वि प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 306, 319 की किस्म परिवर्तन कर गै.मु.रास्ता अंकित गया है जिसका भू प्रबन्धन विभाग को कोई अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त आराजी की किस्म में परिवर्तन हो गया है जिसे में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधि स्वीकार किया जाता है कि मौजा गाडरियावास पटवार हल्का लालपुरा तहसील जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 76 की न. 306, 319 की किस्म को संशोधित कर साबिक किस्म अनुसार अंकित किये आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिख पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:39 IST
Reason: SelfAttested